

23.8.22

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में वकील वादी साक्ष्य वादी पेश करने का अवसर चाहते हैं। पूर्व में इन्हें कई अवसर कोष पर दिये गये हैं जब अवसर इस निर्देश के साथ दिया जाता है। आईन्द्र पेश पर साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश नहीं किये गये तो साक्ष्य का अवसर बन्द समझा जावे। पत्रावली दिनांक 21-9-22 को पेश हो।

21.9.22

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में वकील वादी साक्ष्य वादी पेश करने का अवसर चाहते हैं। पूर्व में अनिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया गया था। आईन्द्र पेशी ता पर साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश नहीं किये गये तो साक्ष्य का अवसर बन्द समझा जावेगा। किन्तु आज दिनांक को भी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश नहीं किये गये। अतः प्रकरण में साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। जो कि वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि गई है। जो पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हो सके हैं। और एवी डेच्य एक्ट के तहत बिना प्रदर्शित दस्तावेज को न्यायालय नहीं पढ़ सकता है। इसी स्थिति में दावा अदम्य सबूतों में वारिष्ठ किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

